परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 18 जून, 2015 पर आधारित है।

परियोजना डेटा शीट

परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम के विषय में संक्षिप्त सूचना होती है। चूंकि पीडीएस एक प्रगति अधीन कार्य होता है, कुछ सूचनाएं इसके प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं हो सकती हैं, परंतु इनके उपलब्ध होने पर शामिल कर ली जाएंगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में सूचना अनन्तिम और संकेतात्मक है।

पीडीएस सृजन तिथि	–
पीडीएस अद्यतनीकरण की तिथि	23 अप्रैल, 15

परियोजना का नाम	भारत में आधारसंरचना निवेश सुविधा त्वरण – किश्त 1
देश	भारत
परियोजना/कार्यक्रम संख्या	47083-002
स्थिति	अनुमोदित
भौगोलिक अवस्थिति	–

इस प्रलेख में किसी कंट्री कार्यक्रम या रणनीति तैयार करने, किसी परियोजना के वित्तपोषण, अथवा किसी विशेष भूभाग अथवा भौगोलिक क्षेत्र को कोई पदनाम देने, अथवा संदर्भित करने में एशियाई विकास बैंक का आशय किसी भूभाग अथवा क्षेत्र की स्थिति के बारे में कानूनी या अन्य प्रकार से राय प्रकट करना नहीं है।

सेक्टर	वित्त
उप सेक्टर	आधारसंरचना वित्त और निवेश निधियां
रणनीतिक कार्यमदें	समावेशी आर्थिक विकास (आईईजी)
परिवर्तन के प्रेरक	निजी क्षेत्र विकास (पीएसडी)
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण संवर्ग	संवर्ग 4: कोई लैंगिक तत्व नहीं (एनजीई)

वित्तपोषण

सहायता का प्रकार/रीति	अनुमोदन संख्या	निधीयन का स्रोत	अनुमोदित राशि (हजार डालर)
ऋण	3048	साधारण पूंजी संसाधन	400,000
योग			**US$ 400,000**

सुरक्षोपाय संवर्ग

सुरक्षोपाय संवर्गों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

पर्यावरण	FI
अस्वैच्छिक पुनर्वास	FI
स्वदेशी लोग	FI

पर्यावरण तथा सामाजिक पहलुओं का सारांश

–
पर्यावरण पहलू

–
अस्वैच्छिक पुनर्वास

–
स्वदेशी लोग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान
यह सुविधा दो पूर्वतर सुविधाओं – भारत आधारसंरचना परियोजना वित्तपोषण सुविधा । एवं ।। के क्रम में इस सुविधा की पहली किश्त है। यह भारत की लगभग 1 ट्रिलियन डालर की पूर्वानुमानित लागत की विशाल आधारसंरचना जरूरतों तथा भारतीय संदर्भ में उपयुक्त आधारसंरचना वित्तपोषण हेतु नए माडल विकसित करने और विद्यमान विधियों को मजबूत बनाने की निरंतर जरूरत के प्रत्युत्तर में है। यह सुविधा दो पूर्व सुविधाओं की सफलता जारी रखेगी जबकि ऋण प्राप्तियों के माध्यम से आधारसंरचना वित्तपोषण हेतु नई विधियों की शुरूआत होगी। यह सुविधा (i) आईआईएफसीएल के मत ("योजना") की लीक पर उपपरियोजनाओं के लिए वरिष्ठ तथा अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रत्यक्ष ऋण; और (ii) निकास वित्तपोषण के तहत आधारसंरचना में सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) हेतु सहायताप्रद होगी। यह पूर्व सुविधाओं का दायरा भी व्यापक

बनाएगी, जिसमें निकास वित्तपोषण के अलावा नवीनेय तथा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं और पिछड़े राज्यों में पहल भी शामिल होंगी। इस पहलू से सरकार के विकास लक्ष्यों की पूर्ति, पीपीपी पहलों का विस्तार करने तथा समावेशी विकास को पोषण करने में सहायक होगी।

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

एडीबी, स्वविवेकानुसार, ऋणी और प्रारंभतः प्रत्याहरण की समाप्ति के बाद एआईआईएफआई के तहत वित्तपोषित उपपरियोजनाओं के प्रबंधन, वित्तीय तथा प्रचालन कार्यप्रदर्शन की समीक्षा करेगा। समीक्षा में एआईआईएफआई वित्तपोषित आधारसंरचना परियोजनाओं में उपयोग की गई अधिप्राप्ति प्रक्रियाएं शामिल होंगी। एआईआईएफआई के कार्यप्रदर्शन की समीक्षा आवधिक रूप से तीन स्तरों पर – आईआईएफसीएल द्वारा (पीएमयू के माध्यम से तिमाही आधार पर), आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा छमाही आधार पर और एडीबी द्वारा वार्षिक आधार पर तथा भारत सरकार, एडीबी तथा आईआईएफसीएल की त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक में की जाएगी। पीएमयू द्वारा प्रत्येक तिमाही हेतु कार्यप्रदर्शन की समीक्षा तिमाही समीक्षा के अगले माह की 10 तारीख तक पूर्ण की जाएगी।

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल द्वारा कार्यप्रदर्शन की समीक्षा छमाही आधार पर की जाएगी और छमाही प्रगति की रिपोर्ट छमाही समीक्षा के अगले माह के 10 वें दिन तक अग्रेषित की जाएगी। एडीबी द्वारा वार्षिक समीक्षा मिशन के दौरान तथा सरकार की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समीक्षा के दौरान तिमाही तथा छमाही प्रगति की रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2013–वित्तीय वर्ष 2018 में निवेश कार्यक्रम की मध्यावधि समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में संविदा अधिनिर्णय तथा संवितरण, कार्यान्वयन प्रगति शामिल होगी जिसमें संस्थानिक विकास संबंधी प्रगति और क्षमता निर्माण उपलब्धियां, सामाजिक एवं पर्यावरण पहलू तथा आईपीपीएमएस की स्थिति सम्मिलित हैं। मध्यावधि समीक्षा में कार्यान्वयन व्यवस्थाओं में समस्याओं अथवा कमजोरियों की पहचान की जाएगी, दायरे, आउटपुट्स तथा सम्यक् सतर्कता में सांकेतिक परिवर्तनों के सुझाव दिए जाएंगे तथा प्रस्तावित परिवर्तनों पर सहमति प्रदान की जाएगी।

वर्णन

परियोजना 1 (किश्त 1) में राजकोषीय संसाधनों पर प्रतिस्पर्धी दबावों के चलते निजी क्षेत्र निवेश में वृद्धि के माध्यम से आधारसंरचना विकास को गति प्रदान करने के सरकार के नए प्रयासों की सहायतार्थ एशिया विकास बैंक के साधारण पूंजी संसाधनों से इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड को 400 मिलियन डालर का वित्तीय मध्यस्थ ऋण शामिल है, जिसकी गारंटी भारत द्वारा दी गई है। इस ऋण से (i) प्रत्यक्ष ऋण, (ii) निकास वित्तपोषण, तथा (iii) अधीनस्थ ऋण, जो सभी आईआईएफसीएल के प्रचालन निर्देशों के अनुरूप है, के माध्यम से सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) आधारसंरचना परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा।

परियोजना तर्काधार और देश/प्रादेशिक रणनीति के साथ सम्बद्धता

भारत का आधारसरंचना का अभाव देश के सामने तार्किक रूप से महत्वपूर्ण विकास चुनौती है। आधारसरंचना की कमजोर स्थिति उच्चतर, स्थायी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास पर एक बोझ का प्रतीक है, जो आपूर्ति पक्ष की बाध्यताओं तथा बाधित आर्थिक विकास और तद्द्वारा गरीबी उपशमन के प्रयासों में बाधाओं को दर्शाता है। भारत को बेहतर सेवा प्रदायगी सहित इसके नागरिकों की बढ़ती अभिलाषाओं की पूर्ति के क्रम में, राजकोषीय दायरे, बाहरी वाणिज्यिक ऋण तथा बैंक बैलेंस शीट्स को देखते हुए, आधारसंरचना के विस्तार के लिए नए उपाय खोजने होंगे।

इन बाध्यताओं पर विजय पाने का समाधान आंशिक रूप से निजी पूंजी निवेश वृद्धि में निहित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 8.4 प्रतिशत की लक्ष्य वास्तविक जीडीपी विकास हासिल करने के लिए, सरकार द्वारा करीब एक ट्रिलियन डालर का

आधारसंरचना निवेश अपेक्षित होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस राशि का लगभग 47 प्रतिशत निजी पूंजी से लाने का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में यह 22 प्रतिशत तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 38 प्रतिशत था। सरकार ने आधारसंरचना में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए आगे सुधारों की जरूरत बताई है।
इन सुधारों में पीपीपी सहायता, आधारसंरचना विकास में परियोजना वित्त योजनाओं को प्रोत्साहन, तथा निकास के नए स्रोत विकसित करने तथा आधारसंरचना ऋण निधियों सहित परियोजना बॉण्ड वित्तपोषण का सुदृढ़ीकरण शामिल है। सरकार की योजना इन सुधारों द्वारा ग्यारहवीं योजना के दौरान 7 प्रतिशत की तुलना में बारहवीं योजना के दौरान जीडीपी के 9 प्रतिशत से अधिक आधारसंरचना निवेश की गति हासिल करना है। इस संदर्भ में, सरकार ने आईआईएफसीएल, जो पीपीपी आधारसंरचना परियोजनाओं के प्रोत्साहन हेतु स्थापित शीर्ष संगठन है, को आधारसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने हेतु लक्ष्य किया गया है।

विकास प्रभाव

आधारसंरचना की वर्द्धित उपलब्धता

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन	परिणाम की दिशा में प्रगति
आधारसंरचना पीपीपी'ज में निजी क्षेत्र निवेश सुसाध्यकृत	–

आउटपुट और कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का वर्णन	कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
1. पीपीपी उपपरियोजनाओं हेतु दीर्घ–अवधि वित्त की वर्द्धित उपलब्धता। 2. परियोजना प्रबंधन में सुधार।	दिसम्बर, 2014 के अंत तक इस परियोजना के तहत 9 परियोजनाओं (6 प्रत्यक्ष ऋण के तहत और 3 निकास वित्तपोषण के तहत) पर विचार किया गया है।
विकास उद्देश्यों की स्थिति	प्रचालन/निर्माण की स्थिति
–	–
महत्वपूर्ण परिवर्तन	
–	

व्यवसाय अवसर

प्रथम सूचीयन की तिथि	23 अक्टूबर, 13

परामर्शी सेवाएं

n/a

अधिप्राप्ति

एडीबी ऋण के तहत वित्तपोषित की जाने वाली सभी अधिप्राप्तियां एडीबी के अधिप्राप्ति दिशानिर्देश (2013 समय समय पर संशोधित अनुसार) के अनुसार निष्पादित की जाएंगी। एडीबी आईआईएफसीएल को अपने उपऋणियों से यह मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी कि वे यथासंभव अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोलीदान प्रक्रियाएं अपनाएं, जबकि निवेश की राशियां अपेक्षाकृत विशाल हैं तथा ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने से मितव्ययिता हासिल की जा सकती है। एडीबी ऋण के उपऋणों से वित्तपोषित की जाने वाली सामान और सेवाओं की अधिप्राप्तियों के लिए आईआईएफसीएल सुनिश्चित करेगी कि भुगतान किया गया मूल्य उपयुक्त है तथा प्रदायगी की अवधि, मितव्ययिता और विश्वसनीयता जैसे कारकों का ध्यान रखा गया है। निर्माण–प्रचालन–अंतरण परियोजनाओं एवं उनके अन्य प्रकारों हेतु, यदि उपपरियोजना प्रायोजक अथवा इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति और निर्माण ठेकेदार का चयन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से प्रतिस्पर्धी बोलीदान द्वारा, एडीबी को स्वीकार्य प्रक्रियाओ के अनुसार किया जाता है, ऐसे इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति और निर्माण ठेकेदार अधिप्राप्तियों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं अपना सकते हैं परंतु कि सामान, सेवाओं तथा कार्यों हेतु अधिप्राप्ति या आपूर्ति एडीबी सदस्य देशों में उत्पादित है।

अधिप्राप्ति तथा परामर्श–सूचनाएं

http://www.adb.org/projects/47083-002/business-opportunities

समयसारणी

संकल्पना स्वीकृति	–
तथ्य–अन्वेषण	–
प्रबंधन समीक्षा बैठक	9 अगस्त, 13
अनुमोदन	21 अक्टूबर, 13

उपलब्धियां

अनुमोदन सं.	अनुमोदन	हस्ताक्षरण	प्रभावी तिथि	समापन		
				मूल	संशोधित	वास्तविक
ऋण 3048	21 अक्टूबर, 13	22 जनवरी, 14	21 फरवरी, 14	31 दिसम्बर, 16	–	–

उपयोग

तिथि	अनुमोदन संख्या	एडीबी (हजार अमेरिकी डालर)	अन्य (हजार अमेरिकी डालर)	शुद्ध प्रतिशत
संचयी संविदा अधिनिर्णय				
17 जून 2015	ऋण 3048	0	0	0.00%
संचयी संवितरण				
17 जून 2015	ऋण 3048	216,500	0	54.00%

उपसंविदाओं की स्थिति

उपसंविदाएं निम्नलिखित संवर्गों में वर्गीकृत की जाती हैं – लेखापरीक्षित लेखा, सुरक्षोपाय, सामाजिक, सेक्टर, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य। उपसंविदा अनुपालन का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंड लागू करने द्वारा किया जाता है: (i) संतोषजनक – इस संवर्ग में सभी उपसंविदाओं का अनुपालन अधिकतम एक अपवाद के साथ किया जा रहा है; (ii) आंशिक रूप से संतोषजनक – अधिकतम दो उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किया जा रहा है; (iii) असंतोषजनक – तीन या अधिक उपसंविदाओं का अनुपालन नहीं किए जाने पर इस संवर्ग में रखी जाती हैं। लोक संचार नीति 2011 के अनुसार परियोजना वित्तीय प्रकथनों हेतु उपसंविदा अनुपालन मूल्यांकन केवल उन परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनका वार्ता हेतु आमंत्रण 2 अप्रैल, 2012 के पश्चात का है।

अनुमोदन सं.	वर्ग						
	सेक्टर		सेक्टर		सेक्टर		सेक्टर
ऋण 3048	–	–	संतोषजनक	–	संतोषजनक	संतोषजनक	–

सम्पर्क तथा अद्यतन विवरण

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	विवेक राव (vrao@adb.org)
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	लोक प्रबंधन, वित्तीय सेक्टर तथा व्यापार प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	–

लिंक्स

परियोजना वेबसाइट	http://www.adb.org/projects/47083-002/main
परियोजना प्रलेखों की सूची	http://www.adb.org/projects/47083-002/documents